न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 49/2020 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 कल्याण पिता देबी गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी राजपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

2 रामेश्वर पिता देबी गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी राजपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

3 लादु पिता देबी गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी राजपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

4 श्रीमती गीसी पुत्री लक्ष्मण बैरवा उम्र–वयस्क निवासी राजपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

...... प्रार्थीगण

बनाम

1 प्रहलाद पिता बदरी लाल धोबी उम्र–वयस्क निवासी राजपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

2 तहसीलदार (भूमिधार) फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

3 तेजपाल पिता गोपाल भील उम्र–वयस्क निवासी हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

4 महावीर पिता गोपाल भील उम्र–वयस्क निवासी हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

5 राधाकिशन पिता गोपाल भील उम्र–वयस्क निवासी हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री कन्हैयालाल धाकड ——प्रार्थीगण अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

अनुपस्थि– श्री विजय पाराशर ———अप्रार्थी संख्या 01 अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 17.11.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 13.07.2020 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार ग्राम हुकमपुरा पटवार मण्डल हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 34 के आराजी संख्या 532/2048, 532, 533 प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार के पक्ष में सहखातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजीयात तक पहुंचना पडता है। प्रार्थी शुरूआत से अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थी द्वारा रूकावट उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीगण ने विपक्षी की आराजी संख्या

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां (भील)

531 की मेड के सहारे–सहारे 15 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की सहखातेदारी आराजीयात में पहुंच हेतु अप्रार्थी के हक स्वामित्व की आराजी संख्या 531 में से भूमि की मेड के सहारे–सहारे 15 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 13.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस, मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की और से अधिवक्ता श्री विजय पाराशर द्वारा अधिकार पत्र व जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिसे रिकार्ड पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण 01 की ओर से खण्डन में प्रस्तुत किये गये जवाब में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के पास अपनी आराजीयात में पहुंच हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद होते हुए भी जवाबदाता की भूमि कब्जा करने की नियत से 15 फीट नवीन रास्ता कायमी का यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, जो न्यायोचित नही है। यदि प्रार्थीगण को चाहे गये रास्ते अनुसार भूमि दे दी जाती है, तो अप्रार्थी संख्या 01 को इससे भारी क्षति होगी, साथ ही अप्रार्थी का कृषि कार्य भी प्रभावित होगा। प्रार्थनापत्र के माध्यम में बताये गये रास्ते से प्रार्थीगण की कभी आवाजाही नही रही है। प्रार्थीगण का शुरूवात के आवागमन का कथन असत्य है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी सव्यय खारीज फरमाया जावें।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र निर्देश दिये गये कि प्राथीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें।

इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम हुकमपुरा दिनांक 17.11.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। शिविर में मौजूद अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपने अभिवचनों से प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें ग्राम हुकमपुरा स्थित आराजी संख्या 531 में से 0.0080 हैक्टे. (2 मीटर/80 वर्गमीटर) एवं आराजी संख्या 546 में से 0.0080 हैक्ट. (2 मीटर/80 वर्गमीटर) कुल 0.0160 हैक्ट. (4 मीटर/160 वर्गमीटर) भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित हुई आराजी संख्या 546 विपक्षी संख्या 3 लगायत 5 के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। चूंकी प्रार्थनापत्र में उपर्युक्त विपक्षी संख्या 3 लगायत 5 को बतौर पक्षकार संयोजित नही है। न्यायालय ने धारा 151 जा.दी के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवीन पक्षकार विपक्षी संख्या 3 लगायत 5 के स्थान पर शिविर में संयोजित किया। अप्रार्थीगण को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है।

सहायक कलेक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
फुलिया कलां (भील.)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) की स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थीगण को केवल 0.0160 हैक्ट. (4 मीटर/160 वर्गमीटर) का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए प्रत्येक आराजीयात रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नही उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थीगण को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है। दूसरी ओर अप्रार्थीगणो ने प्रार्थनापत्र में खण्डन स्वरूप जवाब प्रस्तुत नही किया है, जिससे न्यायालय यह विचार करें कि नवीन रास्ता कायमी से अप्रार्थीगणों को कोई भारी क्षति होगी।

पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा 20 फिट का रास्ता चाहा गया है, एवं उसी अनुरूप अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थीगण की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा ग्राम हुकमपुरा स्थित आराजी संख्या 531 में से 0.0080 हैक्टे. (2 मीटर/80 वर्गमीटर) एवं आराजी संख्या 546 में से 0.0080 हैक्ट. (2 मीटर/80 वर्गमीटर) कुल 0.0160 हैक्ट. (4 मीटर/160 वर्गमीटर) फिट नवीन रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम हुकमपुरा स्थित विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 531 में से 0.0080 हैक्टे. (2 मीटर/80 वर्गमीटर) एवं विपक्षी संख्या 03 से 05 की आराजी संख्या 546 में से 0.0080 हैक्ट. (2 मीटर/80 वर्गमीटर) कुल 0.0160 हैक्ट. (4 मीटर/160 वर्गमीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा रास्ता कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल–दरामद तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी संख्या 531, 546 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.0160 हैक्टेयर (160 वर्गमीटर) मालियत राशि की तिगुनी राशि 12,254/– रूपये (0.0160 हैक्टयर की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 17.11.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम हुकमपुरा के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा